भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5200
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

ऑनलाइन जुए के प्रभाव

5200. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में ऑनलाइन जुए की बढ़ती प्रवृत्ति और युवाओं पर इसके बढ़ते नकारात्मक प्रभाव से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो ऑनलाइन जुए के सामाजिक और वित्तीय परिणामों का आकलन करने के लिए, विशेषकर युवा व्यक्तियों के बीच, किए गए अध्ययनों या रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने युवाओं को नशे की लत और वित्तीय शोषण से बचाने के लिए ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों को विनियमित करने या रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)से **(घ):**भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत "सट्टेबाजी और जुआ" राज्य का विषय है और राज्य विधान सट्टेबाजी और जुए से संबंधित अपराधों को परिभाषित करते हैं। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानमंडलों को सट्टेबाजी और जुए से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है।

इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई करने सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग अवैध सट्टेबाजी और जुए के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दांडिक कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता देती है।

केन्द्रसरकारकीनीतियोंकाउद्देश्यअपनेप्रयोक्ताओंकेलिएएकखुला, सुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहइंटरनेटसुनिश्चितकरनाहै। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुआ संचालन से उत्पन्न जोखिमों और इससे संबंधित संभावित नुकसान और अवैध गतिविधियों जैसे लत, वित्तीय नुकसान, वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों आदि से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।

भारत और भारतीय इंटरनेट में उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले उभरती हानियों से बचाने और देश के कानून के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से उद्योग के साथ जुड़ता है और उनसे इनपुट प्राप्त करता है।

केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में संशोधनों को अधिसूचित किया।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समय-समय पर मध्यस्थों को यह स्मरण कराता रहता है कि वे आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत अपनी उचित सावधानी की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि उनके प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराई गई सट्टेबाजी और जुए सहित गैरकानूनी गतिविधियों/सूचनाओं से निपटा जा सके।

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालता है।मध्यस्थोंसेयहअपेक्षाकीजातीहैकिवेकिसीभीकानूनकाउल्लंघनकरनेवालीकिसीभीसूचनाकोहोस्ट, स्टोरयाप्रकाशितनकरें।वेअपनीजवाबदेहीसुनिश्चितकरनेकेलिएभीबाध्यहैंजिसमेंसरकारकेआदेशकेखिलाफयाकि सीगैरकानूनीजानकारीकेखिलाफप्राप्तशिकायतोंकेआधारपरआईटीनियम, 2021 केअंतर्गतवर्गीकृतगैरकानूनीजानकारीकोहटानेकीदिशामेंउनकीत्वरितकार्रवाईशामिलहै।ऐसी गैरकानूनी सूचना में ऐसी कोई भी सूचना शामिल है जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो धन शोधन या जुए से संबंधित है या उसे प्रोत्साहित करती है, या जो गलत सूचना है, स्पष्ट रूप से झूठी सूचना है, प्रकृति में असत्य या भ्रामक है, या जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करती है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस") की धारा 112(1), जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी, अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास की सजा देती है जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ("आईजीएसटी अधिनियम") में संदर्भित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है।

जीएसटी खुफिया मुख्यालय महानिदेशालय ("डीजीजीआई") को आईटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकारी एजेंसी के रूप में सशक्त किया गया है, जो मध्यस्थों को आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों सहित अपंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या सूचना प्रौद्योगिकी (जनता तक सूचना की पहुँच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए विशिष्ट सूचना / लिंक तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए मध्यस्थों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022-25 (फरवरी, 2025 तक) के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से संबंधित 1410 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं।

डीजीजीआई ऑनलाइन मनी गेमिंग/सट्टेबाजी/जुआ की आपूर्ति में शामिल ऑफ़शोर संस्थाओं की भी जांच कर रहा है जो डीजीजीआई की जांच के दायरे में हैं। अब तक, आईटी अधिनियम के अंतर्गत डीजीजीआई ने एमईआईटीवाईके साथ समन्वय में अवैध/गैर-अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट/यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है।दोअन्यअलग-अलगमामलोंमें, डीजीजीआईनेसामूहिकरूपसेलगभग 2,400 बैंकखातोंकोब्लॉककरदियाहैऔरलगभग 126 करोड़रुपयेफ्रीजकरदिएहैं।डीजीजीआईनेजनताकोसतर्करहनेऔरऑफशोरऑनलाइनमनीगेमिंगप्लेटफार्मोंसेनहीं जुड़नेकीसलाहदी है।

गृह मंत्रालय ("एमएचए") ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईए को एक अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ("आई4सी") की स्थापना की है।

एमएचए ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया है ताकि जनता को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए पोर्टल में अलग तंत्र हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त , सूचना और प्रसारण मंत्रालय ("एमआईबी") ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को 'ऑनलाइन गेम्स, फंतासी खेलों आदि पर विज्ञापन' के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उन्हीं के अनुरूप विज्ञापन दिए जाएं। दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल है कि प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक मीडिया के साथ-साथ ऑडियो/वीडियो फॉर्म में एएससीआईकोड के अनुरूप अस्वीकरण होना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और यह लत का कारण बन सकता है। एमआईबीने सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों (सरोगेट सहित) पर रोक लगाने के लिए भी सलाह जारी की है।

****